7.75% बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2018 – परिचालन दिशानिर्देश

7.75 बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2018 की हैंडलिंग के लिए प्राप्तकर्ता कार्यालय (प्रा.का.) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

यह नोट किया जाए कि 3 जनवरी, 2018 के भारत सरकार की अधिसूचना के पैरा 10 (ए) के अनुसार योजना, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ, राष्ट्रीयकृत बैंक, तीन निजी क्षेत्र के बैंक और एसएचसीआईएल (इसके बाद से यह "प्राप्तकर्ता कार्यालय" के रूप में कहा जाएगा) के द्वारा परिचालित की जाएगी। प्राप्तकर्ता कार्यालयों को योजना को लागू करने के लिए प्रबंध करने, योजना के बारे में स्टाफ को जागरूक करना और अपनी शाखाओं में आवेदन फॉर्म (संचयी और गैर-संचयी दोनों विकल्प के लिए अलग-अलग संशोधित फॉर्म ए) उपलब्ध करना आवश्यक है। प्राप्तकर्ता कार्यालय, सीएएस आरबीआई, नागपुर को 7.75% बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2018 के अंतर्गत रिपोर्टिंग लेनदेन के लिए सिक्योरिटी कोड "20081" का प्रयोग करेगा। इन कार्यालयो द्वारा परिचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नीचे रेखांकित की गई है-

क. बॉन्ड लेजर खाते के संबंध में प्राप्तकर्ता कार्यालयो में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

बॉन्ड लेजर खाता के लिए आवेदनों की प्राप्ति

1. प्राप्तकर्ता कार्यालयो की भूमिका इन जगहों पर बढ़ाई गई है-

   i. प्राप्त आवेदनो के सापेक्ष अपने बही में " बॉन्ड लेजर खाता" प्रकार का खाता खोलकर बॉन्डो का निर्गम;

   ii. खाते की अवधि के दौरान इसकी सर्विसिंग; और

   iii. परिपक्वता पर पुर्नभुगतान प्रभावी करना ।

   संचयी और गैर-संचयी बॉन्ड के लिए आवेदन प्रारूप अलग रंगों में प्रिंट किया जाएगा जिससे आसानी से पहचाना जा सके। आवेदन फॉर्म द्विभाषी रूप में जो कि हिन्दी और अँग्रेजी में होंगे।

1.1. आवेदन फॉर्म संशोधित फॉर्म 'ए' (दिनांक 8 जनवरी, 2018 की भारत सरकार की अधिसूचना का परिशिष्ट 2) या उस समान, आवश्यक विवरणों के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए। आवेदन शुल्क कैश/ड्राफ्ट/चेक/ या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जो प्राप्तकर्ता कार्यालय को स्वीकार है।

1.2. आवेदन की सभी मामलो में सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी। परिशिष्ट II में दिया गया काउंटर पावती आवेदको को जारी किया जाना चाहिए, जिसमें 'होल्डिंग प्रमाणपत्र' को जारी करने की तारीख निर्दिष्ट हो।

1.3. प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा अभिदान की राशि के साथ प्रत्येक सब्सक्राइबर के नाम में 'बॉन्ड लेजर खाता' प्रकार का खाता खोला जाएगा। प्रत्येक खाते को एक 6 अंकों का कोड अल्फा प्रिफिक्स के साथ आवंटित किया जाए जो बैंक और इसके शाखा कोड (उदाहरण एसबीआईपीएनबीएलए 000001- भारतीय स्टेट बैंक, पुणे बॉन्ड लेजर खाता 000001) को लक्षित करेगा।

नोट: (i) बॉन्ड लेजर खाता नकद के टेंडर की तारीख या ड्राफ्ट/चेक के वसूली की तारीख या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतान की प्राप्ति की तारीख पर निवेशक/निवेशकों के नाम से खोला जाएगा। भुगतान के वसूली की इस तारीख को 'अभिदान तारीख' कहा जाएगा।

(ii) प्रत्येक निवेशक के नाम पर केवल एक 'बॉन्ड लेजर खाता' खोला जाएगा। उसी धारक द्वारा शाखा पर कोई नया खाता या अनेक खाते खोले या व्यवस्थित नहीं किए जाएंगे और उसके द्वारा किये गए निवेशों को उसी बॉन्ड लेजर खाता में गिना जाएगा।

(iii) प्रत्येक निवेश के मामले में अभिदान की तारीख से 7 वर्षों की अवधि मानी जाएगी।

(iv) बॉन्ड लेजर खाते में निवेशक द्वारा यथा आवश्यक किए गए अतिरिक्त निवेशों को क्रेडिट करने के लिए परिशिष्ट IIA में दिये गए फॉर्म में सूचना जारी की जाए।

1.4 शाखाएँ भी परिशिष्ट III (फॉर्म ए या बी यथा लागू) में दिये गए प्रोफ़ार्मा के अनुसार "बॉन्ड लेजर खातो के रजिस्टर- सभी धारक" को व्यवस्थित करे।

1.5 बॉन्ड लेजर खाता के खुलने के तुरंत बाद, शाखा सब्सक्राइबर को 3 जनवरी, 2018 भारत सरकार की अधिसूचना के परिशिष्ट 1 में दिये गए फॉर्म में "धारक प्रमाणपत्र" जारी करेगा जिसमें उनके नाम में बॉन्ड लेजर खाता होगा, फॉर्म 'टीबीएक्स' गैर संचयी विकल्प के लिए और फॉर्म 'टीबीवाई' संचयी विकल्प के लिये प्रयोग किया जाना है।

केंद्रीय खाता अनुभाग (सीएएस), आरबीआई नागपुर को धन-प्रेषण

1.6 प्राप्तकर्ता कार्यालय की शाखाएँ, केंद्रीय खाता अनुभाग (सीएएस) के सरकारी खाता, नागपुर में क्रेडिट के लिए प्रतिदिन आधार पर नागपुर के अपने लिंक सेल में प्राप्त की गई अभिदान की राशि को भेजेगा। एडवाइस संबन्धित बॉन्ड लेजर खाते की विशिष्ट संख्या और देय तारीख जिसमें सीएएस,नागपुर को प्रेषण से संबन्धित है, को निर्दिष्ट करेगा।

नोट: (i) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, नकद/इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से पावती की तारीख या संबन्धित ड्राफ्ट/चेक/इलेक्ट्रोनिक माध्यम से वसूली की तारीख से सरकारी खाते को अभिदान अंतरण में 3 दिन से अधिक विलंब होने की दशा में, अभिदान की प्राप्ति की तारीख से सीएएस को वास्तविक रिपोर्टिंग की तारीख तक कूपन दर पर दंडात्मक ब्याज वसूल करेगा। सीएएस द्वारा प्राप्तकर्ता कार्यालयों से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

न्यायाधिकार के बारे में लोक ऋण कार्यालय को रिपोर्टिंग

1.7 नागपुर के प्राप्तकर्ता कार्यालयों के लिंक सेल/ नागपुर के एसबीआई के मुख्य शाखा पर मासिक आधार पर सभी शाखाओं के संदर्भ में परिशिष्ट IV के शाखावार डाटा को वर्गीकृत करेगा और इस आशय की घोषणा के साथ अधिकार क्षेत्र वाले लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) को सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में डेटा जमा करें कि परिशिष्ट IV डाटा सीएएस डाटा के साथ मासिक आधार पर मेल खाता है, इसके अलावा उपरोक्त कथन ब्रोकरेज / हैंडलिंग कमीशन के दावा के लिए सीएएस, नागपुर को प्रस्तुत करना है।

लिंक सेल / एसबीआई मुख्य शाखा, नागपुर द्वारा आगामी माह के 15 दिन के अंदर आवश्यक डाटा पीडीओ को न जमा करने पर, रु.500/- का जुर्माना प्रतिदिन लगाया जाएगा और उपर्युक्त तारीख से विलंब होने पर प्रत्येक दिन के लिए पीडीओ द्वारा प्रा.का.से वसूल किया जाएगा।

नामांकन

1.8 प्राप्तकर्ता कार्यालय निर्धारित फॉर्म (3 जनवरी, 2018 के भारत सरकार की अधिसूचना के परिशिष्ट 4) में सब्सक्राइबर द्वारा किए गए नामांकन को रजिस्टर करेगा। इस उद्देश्य के लिए, "नामांकन का रजिस्टर" (परिशिष्ट V में दिये गए प्रोफ़र्मा के अनुसार) व्यवस्थित करेगा। नामांकन फार्मो का शाखाओं द्वारा परीक्षण किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके-

i. नाबालिग के अलावा एकल धारक या सभी संयुक्त धारकों द्वारा किया गया नामांकन;
ii. बॉन्ड लेजर खाते के विवरणों को इसमे सही रूप में निर्दिष्ट किया गया (शाखा बीएलए विवरण को प्रविष्ट करे जब आवेदन पहली बार किया गया हो);
iii. नाम पूरे इनिशियल्स के साथ और नामिती का पूरा पता (बैंक खाते के विवरण के साथ) फॉर्म में शामिल किया गया हो;
iv. नामिती का जन्म-तिथि, यदि वह नाबालिग है, और नाबालिग होते हुए धारक की मृत्यु पर उसके स्थान पर राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता उपलब्ध कराया गया है;
v. यदि अंगूठे के निशान द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, यह मजिस्ट्रेट/ नोटरी पब्लिक/ट्रेजरी अधिकारी/ बैंक अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

1.9 प्रत्येक नामांकन को एक अलग संख्या आवंटित होगी। उचित सत्यापन के अंतर्गत, नामांकन के फॉर्म पर अंडरनोट लेजेंड लगा हुआ रबर स्टांप होगा:
बैंक शाखा ....

.... सं पर पंजीकृत

.... पर

(धारक द्वारा नामांकन फॉर्म पर निर्दिष्ट तारीख ही माना जाएगा)

परिशिष्ट VI में दिये गए फॉर्म में पावती धारक को जारी होगी।

नामांकन फॉर्म को उचित अभिरक्षा में ही रखा जाना चाहिए।

नामांकन को रद्द करना

1.10 यदि बॉन्ड लेजर खाता धारक निर्धारित फॉर्म (3 जनवरी, 2018 के सरकारी अधिसूचना के परिशिष्ट 5) में वर्तमान नामांकन को रद्द करने के लिए आवेदन करता है, इसके लिए इसका परीक्षण किया जाएगा:

i. बॉन्ड लेजर खाता का सही विवरण फॉर्म में दिया गया हो; और
ii. फॉर्म में नामिती /नामितियों का नाम सही दिया गया हो।

यदि फॉर्म सही है, तो निरासन नामांकन के रजिस्टर (परिशिष्ट V) में उचित कॉलम में भरा जाएगा और नीचे दिया गया रबर स्टाम्प (क) नामांकन के मूल फॉर्म और (ख) नामांकन के निरासन का फॉर्म लगा हो:

बैंक की शाखा का नाम.......................................

दिनांक .... नामांकन के निरासन के फॉर्म के अनुसार रद्द किया गया नामांकन।

परिशिष्ट VII में दिया गया फॉर्म के अनुसार पावती धारक को इसके बाद जारी की जाएगी।

नोट: नामांकन के निरसन के सभी फॉर्म को मूल नामांकन फॉर्म के साथ ही फाइल किया जाएगा।

वर्तमान नामांकन में बदलाव

1.11 3 जनवरी 2018 के सरकारी अधिसूचना के परिशिष्ट 4 में दिया गया फॉर्म में नवीन नामांकन के जमा करने पर धारक वर्तमान नामांकन में बदलाव कर सकता है। इसका परीक्षण किया गया और मूल नामांकन की तरह ही इसको भी देखा जाए। नामांकन के रजिस्टर (परिशिष्ट V) में उचित प्रविष्टि की जाएगी और उचित सत्यापन के अंतर्गत नवीन नामांकन फॉर्म पर रबर स्टांप लगा होगा जैसा कि उपर्युक्त पैरा 1.9 में दिया गया है। निर्धारित फॉर्म (परिशिष्ट VI) में नवीन पावती जारी की जाएगी।

नामिती के दावे

1.12 धारक के मृत्यु पर, नामिती/नामितियों के दावे को सरकारी प्रतिभूति विनिमयन 2007 के साथ सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के खंड 6 के प्रावधानों के अनुसार माना जाए।

एक बार प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा दावा प्राप्त करने के बाद, यह सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 की धारा 9 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के अध्याय III के संदर्भ में दावे को मान्यता दी अजाए, इसकी वैधता, वास्तविकता और अंतिमता के संबंध में इसकी संतुष्टि के अधीन होगी कि इस तरह के बॉन्ड लेजर खाते के संबंध में और दावे को पुष्ट करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों पर कोई प्रतिद्वंद्वी दावा नहीं है।

उस उद्देश्य के लिए, यह किसी दस्तावेज़ या घोषणा को यथावश्यक मांग सकता है। इसके लिए दावेदार को इतनी राशि के लिए क्षतिपूर्ति के एक बॉन्ड को भी प्रस्तुत करे जितना यह सही समझता हो यदि आवश्यक है।

(क) यदि बॉन्ड लेजर खाते में रखे गए बॉन्ड पहले ही परिपक्व हो जाते है, तो उनसे उचित डिस्चार्ज प्राप्त करने के बाद नामितियों को पुर्नभुगतान किया जाएगा। इसको मजिस्ट्रेट/उनके बैंकरों सत्यापित किया जाना चाहिए।
(ख) यदि बॉन्ड लेजर खाते के रूप में रखे गए बॉन्ड पुर्नभुगतान के लिए परिपक्व नहीं हुए हो, नामिती का नाम खाताधारक के रूप मे बदल देंगे और उचित सत्यापन के अंतर्गत नया धारक प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

नोट : इन मामलो में नवीन बॉन्ड लेजर खाता नहीं खोला जाना चाहिए।

ब्याज का भुगतान

1.13 उन्हे व्यवस्थित करने वाले प्राप्तकर्ता कार्यालय के शाखों द्वारा बोन लेजर खाता को देखा जाएगा। बॉन्ड पर ब्याज अभिदान की तारीख से लगाया जाएगा। तदनुसार, गैर संचयी बॉन्ड लेजर खाते के संबंध में, प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त और 1 फरवरी के छह माह के अंतराल पर 7.75% के दर से ब्याज समान रूप से भुगतान किया जाएगा। ब्रोकेन अवधि ब्याज, बॉन्ड के निर्गम की तारीख से 31 जुलाई या 31 जनवरी तक जैसा भी मामला हो,भुगतान किया जाएगा। ब्याज का भुगतान धारक के बैंक खाता में डाला जाए।

सीएएस,आरबीआई,नागपुर से प्रतिपूर्ति हेतु दावे

1.14 ब्याज भुगतान करने वाले प्राप्तकर्ता कार्यालयों की शाखाएँ अपने लिंक सेल के माध्यम से सीएएस, आरबीआई, नागपुर से प्रतिपूर्ति का दावा करेंगी, जो किए गए भुगतानों का खातावार ब्यौरा देती हैं। (बॉन्ड लेजर खाता संख्या, निवेश की राशि जिस पर ब्याज का भुगतान किया गया है और ब्याज की राशि है)। इस संबंध में योजना को देखने वाले प्राप्तकर्ता कार्यालयों (परिशिष्ट XI और XII के अनुसार) की शाखाओं द्वारा एक स्क्रॉल तैयार किया जाएगा और लिंक कार्यालयों को उपलब्ध कराया गया। इन स्क्रॉलों की चौथी प्रति प्रत्येक शाखा द्वारा रखी जाएगी और पहली तीन प्रतियाँ संबन्धित लिंक कार्यालय को भेजी जाएगी।

<u>नोट:</u>

लिंक कार्यालय विभिन्न शाखाओं से प्राप्त स्क्रॉल को समेकित करेगा और तीन प्रतियों में एक समेकित स्क्रॉल शाखा-वार तैयार करेगा। ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए समेकित दावे की सॉफ्ट कॉपी सरकारी कार्यालयों में समायोजन के लिए भौतिक अधिदेश के साथ एएससीआईआई फ़ाइल प्रारूप में लिंक कार्यालय द्वारा सीएएस, आरबीआई, नागपुर को भेज दी जाएगी। आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षकों से इस आशय का प्रमाण पत्र विधिवत रूप से समर्थित होना चाहिए कि ब्याज भुगतान के आंकड़े 100% जाँचे जा चुके हैं और यह राशि निवेशकों को पहले ही भुगतान की जा चुकी है। समेकित स्क्रॉल की पहली भौतिक प्रतिलिपि, शाखाओं से प्राप्त प्रत्येक स्क्रॉल की एक प्रतिलिपि के साथ, लिंक कार्यालय द्वारा लेखा नियंत्रक, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेज दी जाएगी। समेकित स्क्रॉल की दूसरी भौतिक प्रति, शाखाओं से प्राप्त प्रत्येक स्क्रॉल की एक प्रतिलिपि के साथ, लिंक कार्यालय द्वारा लोक ऋण कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में भेज दी जाएगी। शाखा स्क्रॉल की तीन प्रतियों के साथ तीसरी प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए लिंक कार्यालय द्वारा रखी जाएगी।

मृतक धारक के बांड के हकदारी की मान्यता

1.15 सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनिमयन (सरकारी प्रतिभूति विनिमयन, 2007) के अनुसार, यह निम्न रूप में निर्धारित है:
प्रा.का. ऐसे किसी भी दस्तावेज के आधार पर मृतक धारक द्वारा रखे गए बांड के हक का दावा करे, जो उसकी वैधता, वास्तविकता और अंतिमता के संबंध में सही है, और वास्तविकता यह है ऐसी सरकारी प्रतिभूति के संबंध में कोई विरोधी दावा नहीं है। इस प्रयोजन के लिए वे सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के विनियम 6 (1) और (2) के तहत निर्धारित

दस्तावेजों पर निर्भर रहे , जहाँ बकाया दावे का मूल्य रु.10 लाख से अधिक है और जहाँ मूल्य रु. 10 लाख से कम है, दस्तावेज रेगुलेशन 2A उपरोक्त के तहत मांगा जाए।

नोट: उपरोक्त प्रावधान लागू है जहां कोई वैध नामांकन मौजूद नहीं है। उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार कानूनी अभ्यावेदन से संबंधित दावों का निपटान प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा किया जा सकता है। संदेह की स्थिति में, इस मामले को पूर्ण विवरण के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार क्षेत्र के पीडीओ को भेजा जाए।

बॉन्ड का पुर्नभुगतान

1.16 निवेशकों को जारी एडवाइस: धारकों का ध्यान उनके बॉन्ड की आगामी परिपक्कता के लिए उस तारीख से एक महीने पहले लिया जाएगा जिस दिन बीएलए में निवेश पुर्नभुगतान हेतु देय है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एडवाइस केवल बीएलए के संबंध में भेजी जाती है जो स्टापेज से मुक्त हैं। निवेशकों को बैंक खाते के विवरण की पुष्टि करने के लिए भी सलाह दी जा सकती है, जिसके लिए मोचन आय जमा की जाएगी।

परिपक्कता के बाद ब्याज

1.17 अभिदान की तारीख से सात साल की समाप्ति पर बांड पुर्नभुगतान योग्य होंगे। बांड की परिपक्कता के बाद कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अतः बैंक निवेशकों को सूचित करेंगे कि निवेश में परिपक्कटा के बाद ब्याज नहीं मिलता है जैसा कि पैरा 1.16 में मुख्य रूप से सूचना निर्दिष्ट की गई है।
शोधन के समय बैंक विधिवत धारक के प्रमाणपत्र पर जोर नहीं दे सकते। बीएलए के धारक को परिपक्कता आय का भुगतान धारक के खाते में क्रेडिट द्वारा किया जाएगा।

निवेशकों को भुगतान:

1.18 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डिस्चार्ज मूल्य का वास्तविक भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड में निवेशकों के खाते में जमा करके केवल नियत तारीख पर किया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत परिपक्कता के दिन पर छुट्टी की तारीख घोषित होने रविवार को होने की स्थिति में, परिपक्कता की आय का भुगतान विगत कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

बीएलए को व्यवस्थित करते हुए, संबंधित प्राप्तकर्ता कार्यालयों की शाखा द्वारा ही पुर्नभुगतान किया जाएगा। निवेश (निवेशों) को बंद करने का विवरण जैसे दिनांक (दिनांकों) और राशि (राशियों) आदि को प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा।

यदि एक ही बीएलए के सापेक्ष कई निवेश किए जाते हैं, तो व्यक्तिगत निवेश के मोचन को इसमें दिखाया जाएगा और बीएलए नंबर को विधिवत इंगित करने वाले धारक का एक नया प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत निवेश के संबंध में परिपक्कता की तारीख और राशि शुरू करके निवेशक को दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बीएलए में दिखाई देने वाली बकाया राशि और धारक के विवरण समान हैं।

ब्याज का भुगतान: गैर-संचयी योजना के तहत किए गए निवेश के संबंध में, मूल के साथ-साथ ब्रोकेन अवधि / पिछले छमाही के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा। संचयी योजना के तहत किए गए निवेश के संबंध में, मूलधन के साथ बांड

पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। निवेशकों की सलाह को अनिवार्य रूप से अंकित होगा "ब्याज निवेश के बाद --- / --- / ---- (परिपक्वता की तारीख) पर अर्जित नहीं होगा।

नोट: बीएलए के संयुक्त धारकों की परिपक्वता आय संयुक्त धारकों में से एक के पक्ष में जारी की जाएगी, जिनके शेष सभी धारकों ने संयुक्त धारकों के पावर ऑफ अटॉर्नी (परिशिष्ट XIII) के निर्धारित प्रारूप के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है।

अवधिपूर्व नकदीकरण:

1.19 साठ वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तिगत निवेशकों को बांड की समयपूर्व नकदीकरण जारी करने की तिथि से न्यूनतम लॉक इन अवधि की अनुमति है। एक निवेशक, जो समय से पहले नकदीकरण की सुविधा का लाभ उठाने का इच्छुक है, उसे अपने जन्म की तारीखों को प्राप्तकर्ता कार्यालयों को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। गैर-संचयी बांडों के मामले में, समयपूर्व नकदीकरण भुगतान निम्नलिखित ब्याज भुगतान पर देय तिथि से 1 अगस्त और 1 फरवरी (किसी भी तारीख को भुगतान किया जा सकता है, और जरूरी नहीं कि 1 अगस्त और 1 फरवरी) किया जाएगा।

समयपूर्व नकदीकरण के लिए दंड: धारक अवधि के अंतिम छह महीनों के लिए देय और देय ब्याज का 50% संचयी और गैर-संचयी बांडों के संबंध में समय से पहले नकदीकरण के लिए निवेशक से जुर्माना के रूप में वसूला जाएगा।

निवेशकों को किसी भी एक आवेदन पर किए गए निवेश की पूरी राशि निकालने की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, यदि एक धारक को एक ही बीएलए में कई निवेश हैं, तो वह एक या एक से अधिक निवेश (निवेशों) की पूरी राशि के समय से पहले नकदीकरण के लिए एक या एक से अधिक अनुरोध (अनरोधों) कर सकता है, जिसने 03 जनवरी, 2018 के भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार जारी होने की तारीख से न्यूनतम के अनुसार लॉक-इन अवधि पूरा कर लिया है।

एकल आवेदन पर निवेश की गई राशि के आंशिक नकदीकरण की अनुमति नहीं है।

निवेशक को पूरी रकम की समयपूर्व नकदीकरण के लिए एक आवेदन देना होगा।

लेखांकन:

1.20 मूलधन और ब्याज का अलग-अलग लेखांकन किया जाएगा और स्क्रॉल अलग रखा जाएगा और आडिट / सत्यापन के लिए रिकॉर्ड पर रखे जाएंगे।

भारत सरकार को रिपोर्टिंग:

1.21 प्राप्तकर्ता कार्यालय अपने लिंक कार्यालय के माध्यम से लेखाकर नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को मासिक आधार पर योजना के अंतर्गत बीएलए के संदर्भ में भुगतान और बकाया को भुगतानों और बकाया को दिखाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेंगे। पुर्नभुगतान स्क्रॉल मूल से संबंधित है और इस प्रयोजन के लिए परिशिष्ट XI & XII के अनुसार ब्याज अलग से लिया जाएगा।

क्षेत्राधिकार वाले पीडीओ को रिपोर्टिंग

1.22 अधिकार क्षेत्र के पीडीओ को भेजी गई मासिक रिपोर्ट में परिशिष्ट IV के भाग D में पुर्नभुगतान का विवरण होगा। पुर्नभुगतान मूल से संबंधित है और महीने के लिए परिशिष्ट XII & XI के अनुसार अलग से लिया गया ब्याज भी जमा किया जाएगा। बीएलए की बकाया सूची की एक प्रति पीडीओ को भी भेजी जाएगी।

ब्रोकरेज का भुगतान

1.23 जुटाई गई राशि का 0.5% की दर से ब्रोकरेज का भुगतान ब्रोकर्स को किया जाए, जो उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों पर और उनके ग्राहकों की ओर से स्टाम्प लगा हुआ हो, प्राप्त कार्यालय के साथ पंजीकृत हुआ हो। उनके द्वारा जमा किया गया बिल के परीक्षण के बाद ब्रोकर्स को ब्रोकरेज का भुगतान प्राप्तकर्ता कार्यालय करे और मासिक आधार पर सीएएस, नागपुर से उनके प्रतिपूर्ति के लिए लिंक कार्यालय के माध्यम से उनके दावे को वरीयता दे।

केंद्रीय खाता अनुभाग, आरबीआई, नागपुर से पुर्नभुगतान के प्रतिपूर्ति के लिए दावा

1.24 प्राप्तकर्ता कार्यालय केवल उनके द्वारा दिए गए पुर्नभुगतान के संबंध में प्रतिपूर्ति के दावों को प्राथमिकता देंगे। इस तरह के दावों को केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से (ASCII प्रारूप) एसबीआई, नागपुर के संबंधित लिंक सेल/ मुख्य शाखा के माध्यम से एक साथ भौतिक आदेश के साथ मूलधन और ब्याज के लिए अलग से भेजा जाएगा। दावों को आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षकों से इस आशय का एक प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत समर्थन दिया जाएगा कि पुर्नभुगतान के आंकड़े 100% जाँचे जा चुके हैं और यह राशि निवेशकों को पहले ही भुगतान की जा चुकी है।

धारक प्रमाणपत्र का खोना

1.25 यदि बॉन्ड लेजर खाता धारक/धारकों को जारी किए गए प्रमाण पत्र को खो जाने / नष्ट होने की सूचना दी जाती है, तो इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर धारक को एक डुप्लिकेट जारी किया जाएगा। हालाँकि, इसके लिए धारक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्राप्तकर्ता कार्यालयों के परितोषिक के दावे का निपटारा (ब्रोकरेज/कमीशन/टर्नओवर कमीशन)

1.26 प्राप्तकर्ता कार्यालय बीएलए हैंडिलिंग हेतु प्रभारॉन की प्रतिपूर्ति निम्न रूप में करेगा-

क. सीएएस, नागपुर (परिशिष्ट VIII) से मासिक आधार पर दावे किए जाने वाले परितोषिक/प्रतिपूर्ति

(i) ग्राहकों की ओर / प्रा.का. के साथ पंजीकृत दलालों को भुगतान के आधार पर जताई गई प्रति 100 रु. के अभिदान पर 0.50 पैसे का ब्रोकरेज, जैसा कि ऊपर पैरा 1.23 में वर्णित है।

(ii) जुटाई गई अभिदान राशि के एक प्रतिशत का 1/16वां पर देय अभिदान के लिए कमीशन।

प्राप्तकर्ता कार्यालय मासिक आधार पर समेकित बिलों के प्रभार को मिलाएगा और सीएएस, नागपुर को परिशिष्ट VIII में दिये गए प्रोफ़ार्मा के अनुसार भेजेगा। कसीएएस, नागपुर हर महीने ब्रोकरेज और कमीशन का भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता कार्यालयों से प्राप्त परिशिष्ट VIII से विवरण सत्यापित करें।

ख. सीएएस , नागपुर से त्रैमासिक आधार पर किया जाने वाला परितोषिक (परिशिष्ट IX)

(i) भुगतान किए गए पर प्रति 100 रु. पर 5. 50 पैसे का टर्नओवर कमीशन, बीएलए स्कीम के अंतर्गत रखे गए खातों के संबंध में मूल राशि का पुनर्भुगतान।

लिंक कार्यालय प्रभारों का विवरण 31 मार्च / 30 जून / 30 सितंबर / 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही के अंत में परिशिष्ट IX से सीएएस, नागपुर को प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेंगे।

ग. अधिकार क्षेत्र वाले पीडीओ (परिशिष्ट X) से प्रतिवर्ष किए जाने वाले दावे का परितोषिक / प्रतिपूर्ति

(i) प्रत्येक नए खोले गए बीएलए के लिए रु.25 पर सेवा प्रभार और वर्तमान प्रत्येक खाता के लिए रु. 20।

प्राप्तकर्ता कार्यालय मासिक आधार पर समेकित बिलों के प्रभार को मिलाएगा और सीएएस, नागपुर को परिशिष्ट VIII में दिये गए प्रोफ़ार्मा के अनुसार भेजेगा। सीएएस, नागपुर हर महीने ब्रोकरेज और कमीशन का भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता कार्यालयों से प्राप्त परिशिष्ट VIII से विवरण सत्यापित करें।

खातों का अंतरण

1.27 बिक्री या आंशिक अंतरण के उद्देश्य के लिए बीएलए के स्थानांतरण की अनुमति नहीं है। हालांकि, बीएलए के इंट्रा-बैंक और अंतर-बैंक शाखा हस्तांतरण की सुविधा ग्राहकों के लिए असाधारण परिस्थितियों में उपलब्ध होगी जो मौजूदा प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा सर्विसिंग को असंभव बनाता है। इस संबंध में प्राप्तकर्ता कार्यालयों की शाखाओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

(क) प्राप्तकर्ता कार्यालय की स्थानांतरण शाखा में कार्रवाई:

धारक से साधारण पत्र जो बीएलए के स्थानांतरण के साथ-साथ धारक प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध करता है, उसे प्राप्त किया जाएगा। प्राप्तकर्ता कार्यालय की शाखा अनुरोध की जांच करेगी और यदि यह सही है, तो शाखा खाता को बंद कर देगी और सीधे प्राप्तकर्ता कार्यालय की अंतरिती शाखा को पत्र जारी करेगी (अंतरणकर्ता को प्रति के साथ) जिसमे अंतरित खाता के विवरण हो और धारक प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न हो। पत्र में, अन्य के साथ, पूरे किए गए कार्यकाल और देय तारीख और उस अवधि तक जिसमे धारक को भुगतान किए गए ब्याज के साथ भुगतान योग्य ब्याज भी यदि कोई है, गैर- संचयी विकल्प के मामले में, को सूचित करना चाहिए।

नोट: दिनांक .... के अंतरण आदेश सं....... द्वारा .... प्राप्तकर्ता कार्यालय/शाखा को “खाता अंतरित” टिप्पणी के साथ धारक प्रमाणपत्र रद्द किया जाएगा। रद्द धारक प्रमाणपत अलग से फ़ेल किया जाएगा।

ख.प्राप्तकर्ता कार्यालय के अंतरिती शाखा पर कार्रवाई:

प्राप्तकर्ता कार्यालय की अंतरिती शाखा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुरोध बैंक के पत्र शीर्ष में है और स्टांप लगा हुआ हो और अंतरणकर्ता प्रापक कार्यालय से सीधे प्रपट किया गया हो। रिसीविंग ऑफ़िस से प्राप्त किया गया है। अंतरणकर्ता प्राप्त कार्यालय की शाखा से पत्र प्राप्त होने पर, अंतरिती प्राप्त करने वाले कार्यालय की शाखा अंतरिती के नाम पर एक बॉन्ड लेजर खाता खोलेगी। यह लिए 03 जनवरी, 2018 के सरकारी अधिसूचना में दिए गए अनुबंध 1 (फॉर्म 'टीबीएक्स' या फॉर्म 'टीबीवाई' यथा लागू) में दिए गए फॉर्म में उसके नाम से उसके द्वारा खोले गए बॉन्ड लेजर खाते के लिए अंतरिती करने वाले (खरीदार) के लिए एक धारक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा।

दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती शाखा संबन्धित पीडीओ को परिशिष्ट IV के अंतर्गत अंतरणों को रिपोर्ट करेगा।

ब्याज और/या मूलधन के भुगतान में देरी के लिए प्रतिपूरक ढांचा

1.28 प्राप्तकर्ता कार्यालय जो कि देरी / ब्याज / परिपक्वता मूल्य के देर से प्राप्ति/विलंबित क्रेडिट के कारण वित्तीय हानि के लिए, 8% प्रति वर्ष की निश्चित दर से निवेशक को प्रतिपूर्ति देगा।

अभिलेखो का परिरक्षण

1.29 जिस अवधि के लिए बॉन्ड लेजर खातों के रिकॉर्ड को संरक्षित किया जाएगा, वह नीचे विस्तृत है:

क्र.सं.	अभिलेखों का विवरण	परिरक्षण अवधि
1.	बॉन्ड लेजर खाते के लिए आवेदन	10 वर्ष
2.	काउंटर प्राप्तियाँ का सरेंडर	धारक प्रमाणपत्र के
3.	बॉन्ड लेजर खाते का रजिस्टर	स्थायी
4.	नामांकनों,नामांकन के पंजीकरण/ निष्कासन के पावती संबन्धित एडवाइस का रजिस्टर	फॉर्म द्वारा आवरित बॉन्ड के पुर्नभुगतान की तारीख से 3 वर्ष
5.	नामांकन/निष्कासन के फॉर्म	-समान-
6.	हकदारी के मान्यता के मामले में प्रस्तुत दस्तावेज़	10 वर्ष
7.	क्षेत्राधिकार वाले पीडीओ/ लेखकर नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत स्क्रॉल	3 वर्ष
8.	क्षेत्राधिकार वाले पीडीओ को प्रस्तुत विवरण	5 वर्ष या पुर्नभुगतान जो भी पहले हो

परिशिष्ट II

(पैराग्राफ 1.2)

प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम …………….

पता………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

<u>7.75% बचत (करयोग्य) बॉन्ड, 2018</u>

…………. रु. (रुपए ……) के न्यूनतम मूल्य के 7.75 बचत (करयोग्य) बॉन्ड, 2018 के खरीद के लिए रु..............के लिए .... नकद/ड्राफ्ट/चेक सं./इलेक्ट्रोनिक माध्यम से दिनांक.......... को आहृत किया गया।बॉन्डों को बॉन्ड लेजर खाता के रूप में जारी किया जाना आवश्यक है।

उक्त पर ब्याज अर्धवार्षिक / परिपक्वता पर देय है।
……….. को डिलिवरी के लिए धारक प्रमाणपत्र तैयार रहेगा।

p.शाखा प्रबन्धक

नोट्स : 1. जब तक इस रसीद को सही तरीके से शोधन करके (प्रत्येक आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित) वापस नहीं किया जाता है, तब तक बैंक होल्डिंग के प्रमाण पत्र के वितरण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. यदि पावती खो जाती है, आवेदक/आवेदकों को कार्यालय को मामला तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए जिसने पावती जारी किया है।
3. भुगतान इन्स्ट्रुमेंट के वसूली के अधीन पावती वैध्य है।

<u>परिशिष्ट IIA</u>

सेवा में,

<निवेशक (निवेशकों) का नाम>

<पता>

महोदय,

<u>निवेश का प्रमाणपत्र</u>

दिनांक .... के आपके आवेदन सं......... के संदर्भ में, हम सूचित करते हैं कि आपका बॉन्ड लेजर खाता सं............ रु............(रु........) की राशि से क्रेडिट किया गया है जो .... को पुर्नभुगता के लिए देय होगी। उक्त पर ब्याज 1 अगस्त/1 फरवरी/पुर्नभुगतान पर भुगतान योग्य होगा।

भवदीय,

(……………………)

p. शाखा प्रबन्धक

<u>परिशिष्ट IV</u>

(पैराग्राफ 1.7)

प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम

शाखा

.... माह के लिए जारी बॉन्ड/अंतरित/पुर्नभुगतान का विवरण

<u>भाग क</u>

<u>..............माह के दौरान</u>

खोला गया बॉन्ड लेजर खाता

गैर- संचयी				संचयी			
बीएलए सं	राशि	सीएएस एडवाइस सं और तारीख	भुगतान की देय तारीख	बीएलए सं	राशि (न्यूनतम)	सीएएस एडवाइस सं और तारीख	भुगतान की देय तारीख
-	-	-	-	-			-
कुल	-	-	-	-			-

भाग बी

अन्य शाखाओ/बैंकों(इंफलों) से अंतरण

गैर-संचयी				संचयी			
बीएल खाता सं.	राशि	भुगतान की देय तारीख	अंतरणकर्ता शाखा या बैंक का नाम	बीएल खाता सं.	राशि (न्यूनतम)	पुर्नभुगतान की देय तारीख	अंतरणकर्ता शाखा का नाम
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-

भाग सी

अन्य शाखाओं/बैंकों को अंतरण (आउटफ़्लो)

गैर-संचयी				संचयी			
बीएल खाता सं.	राशि	भुगतान की देय तारीख	अंतरणकर्ता शाखा या बैंक का नाम	बीएल खाता सं.	राशि (न्यूनतम)	पुर्नभुगतान की देय तारीख	अंतरणकर्ता शाखा का नाम
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
कुल							

भाग डी

पुर्नभुगतान

गैर-संचयी				संचयी			
बीएल खाता सं.	राशि	पुर्नभुगतान की देय तारीख	पुर्नभुगतान हुआ	बीएल खाता सं.	राशि (परिपक्व मूल्य)	पुर्नभुगतान की देय तारीख	पुर्नभुगतान हुआ
-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-

भाग ई

सार स्थिति

	गैर-संचयी		संचयी	
	खातो की सं.	राशि	खातो की सं.	राशि
प्रोग्रेसिव प्रारम्भिक अवशेष बी/एफ़ + भाग ए + भाग बी	-- --	-- --	-- --	-- --
कुल	--	--	--	--
- भाग सी - भाग डी	-- --	-- --	-- --	-- --
अवशेष	--	--	--	--
सम्पूर्ण भाग ए का कुल + भाग बी- भाग सी का कुल +भाग डी	--	--	--	--

परिशिष्ट **V**

(पैराग्राफ 1.8)

7.75 बचत (करयोग्य) बॉन्ड, 2018 के नामांकन का रजिस्टर

रजिस्टर में प्रविष्टि की तारीख	क्रम सं.	बॉन्ड लेजर खाता सं.	नामांकन की तारीख	नामिती/नामितियों का विवरण		
				पूरा नाम इनिशियल्स के साथ	पता बैंक खाता यदि कोई है तो उसका विवरण।	नामिती का जन्म तिथि (तभी पूरा किया जाए यादधि नामिती नाबालिग है)
1	2	3	4	5	6	7

नाबालिग नामिती के आधार पर राशि स्वीकार करने के लिए व्यक्ति का नाम	पता	इनिशियल्स	प्रस्तावित नामांकन फॉर्म के रद्दीकरण की तारीख	प्रतिस्थान में किया गया नामांकन का क्रम सं.	इनिशियल्स	टिप्पणियाँ
8	9	10	11	12	13	14

परिशिष्ट VI

(पैराग्राफ 1.9)

7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 .... के संबंध में किए गए नामांकन की पावती बॉन्ड लेजर खाता संख्या .... और उसके द्वारा की गई नियुक्ति
सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 9 बी (4) के तहत श्री / श्रीमती / कु. .... बही में दिनांक .... को दर्ज की गई है।

तारीख :

p. शाखा प्रबन्धक

प्राप्तकर्ता कार्यालय:

शाखा :

परिशिष्ट VII

(पैराग्राफ 1.10)

7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 के संबंध में
नामांकन रद्द किए जाने की पावती

बॉन्ड लेजर खाता सं .... को (प्राप्तकर्ता कार्यालत शाखा)....... के बही में .... दिनांक को पंजीकृत किया गया जिसका संबंध में नामांकन तारीख .... को श्री/श्रीमती/कुमारी........... द्वारा तारीख .... को रद्द किया गया।

दिनांक :

p. शाखा प्रबन्धक

प्राप्तकर्ता कार्यालय ....

शाखा ....

परिशिष्ट VIII

(परिशिष्ट IV का भाग ए)

(पैरा 1.26-ए)

7.75% बचत (करयोग्य) बॉन्ड, 2018

.....माह का बिल

शाखों/प्राप्तकर्ता कार्यालय के लिए ब्रोकरेज/हैंडिलिंग कमीशन के दावे- नियंत्रक कार्यालय द्वारा समेकित किया गया।

स्रोत : अनुलग्नक IV का भाग ए (24 दिसंबर,2018 का परिचालन दिशानिर्देश का पैरा 1.7 देंखे) केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस) आरबीआई, नागपुर को प्रस्तुत किया जाए।

प्रति 100 रु. पर रु. 0.50 की दर पर दावा किया गया ब्रोकरेज					
क्र.सं.	शाखा/कार्यालय	माह के दौरान एकत्रित राशि (रु में)	प्रति रु 100 पर रु 0.50 की दर से ब्रोकरेज (रु में)	कुल प्राप्त किए गए अभिदान राशि के एक प्रतिशत का 1/16 की दर से हैंडिलिंग कमीशन (रु. में)	कुल राशि (रु में)
1.					
2.					
3.					
इत्यादि					
		कुल दावा:			

नियंत्रक प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख और राउंड स्टांप के साथ

परिशिष्ट IX

(परिशिष्ट IV का भाग ए)

(पैरा 1.26-बी)

7.75% बचत (करयोग्य) बॉन्ड, 2018

………………. तिमाही समाप्ती के लिए बिल

शाखों/ प्राप्तकर्ता के लिए टर्नओवर कमीशन के समेकित दावा- लिंक कार्यालय द्वारा सीएएस,आरबीआई,नागपुर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

भुगतान ब्याज, मूल राशि पुर्नभुगतान पर प्रति 100 रु.पर रु.5.50 की दर दावा किया गया टर्नओवर कमीशन					
क्र.सं.	शाखा/कार्यालय	तिमाही के दौरान पुर्नभुगतान की गई मूल राशि (रु.में)	तिमाही के दौएयन भुगतान किया गया ब्याज की राशि (रु.में)	तिमाही के दौरान कुल भुगतान (रु. में)	प्रति रु.100 पर रु.5.50 की दर से टर्नओवर कमिधान (रु. में)
1.					
2.					
3.					
इत्यादि					
			कुल दावा:		

नियंत्रक कार्यालय प्रभारी का हस्ताक्षर

तारीख और राउंड स्टांप के साथ

<u>परिशिष्ट</u> X

(परिशिष्ट IV का भाग ए)

(पैरा 1.26-सी)

7.75% बचत (करयोग्य) बॉन्ड, 2018

31 मार्च वर्ष समाप्ति के लिए बिल ________________________

शाखाओं/प्राप्तकर्ता कार्यालयों के लिए सेवा प्रभार का समेकित दावा- नियंत्रक कार्यालय द्वारा समेकित किया जाना

स्त्रोत: मासिक विवरण का भाग ई क्षेत्राधिकार (24 दिसंबर, 2018 के परिचालन दिशानिर्देश का अनुलग्नक IV, पैरा IV)

क्र.सं.	शाखा/कार्यालय	सेवा प्रभार की राशि	
		नवीन बीएलए (रु. में)	वर्तमान बीएलए (रु. में)
1.			
2.			
3.			
इत्यादि			
	कुल दावा:		

नियंत्रक प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख और राउंड स्टम्प के साथ

परिशिष्ट **XIII**

(पैराग्राफ 1.18)

संयुक्त धारक पावर ऑफ एटार्नी

(स्टांप ड्यूटी से छूट)

तारीख:

बैंक (   )

लोक ऋण कार्यालय (   )

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी

(……
…………………………………………………………………) यहाँ प्राधिकृत करते हैं
(……………………………………………………………………………………....) *

सरकारी प्रतिभूतियों के संयुक्त धारकों में से, जिनमें से विवरण को जोड़ दिया गया है, उक्त प्रतिभूतियों पर आय की परिपक्वता के लिए हमारे नाम पर एक वैध निर्वहन करने के लिए जोड़ दिया गया है और हम यहाँ अनुरोध करते हैं कि भुगतान आदेश / इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान अकेले उनके नाम पर जारी किया जाए।

उनके नाम संयुक्त रूप में

दो या दो से अधिक हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति में, यह अधिकार उत्तरजीवी या हमारे में से बचे उत्तरजीवियों के लिए बाध्यकारी होगा जब तक इसे औपचारिक रूप से रद्द न किया गया हो।

* यहां "एक" "दो" "तीन" आदि जैसा मामला हो दर्ज करें।

प्रतिभूति की सं	ऋण	राशि	धारक

साक्ष्यों का हस्ताक्षर और पता   हस्ताक्षर

1……………………………………………….

……………………………………

……………………………………………..

……………………………………

2……………………………………………….

……………………………………

……………………………………………..

……………………………………

महत्वपूर्ण

निष्पादन को दो विश्वसनीय गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जिनमें से एक, यदि संभव हो तो या तो बैंकर या एक ट्रेजरी अधिकारी या एक मजिस्ट्रेट होना चाहिए।

परिशिष्ट सं.III

फॉर्म 'ए'

(पैराग्राफ1.4)

गैर-संचयी

बॉन्ड लेजर खाते का रजिस्टर – सभी धारक

7.75% बचत (करयोग्य) बॉन्ड, 2018

प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम ____________________

शाखा का नाम ____________________

लेन-देन की तारीख	निवेश		पुर्नभुगतान		कुल योग*	
	खाते की सं	राशि	खाते की सं	राशि	खाते की सं	राशि
1	2	3	4	5	6	7

नवीन निवेश (कॉल 3) को जोड़कर कुल योग और प्रारम्भिक अवशेष से पुर्नभुगतान (कॉल 5) को घटाकर प्राप्त किया जाए।

परिशिष्ट सं.III

फॉर्म 'B'

(पैराग्राफ 1.4)

संचयी

बॉन्ड लेजर का रजिस्टर –सभी धारक

7.75% बचत (करयोग्य) बॉन्ड, 2018

प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम ____________________

शाखा का नाम ____________________

लेन देन की तारीख	निवेश		पुर्नभुगतान		कुल योग*	
	खाते की सं	राशि	खाते की सं	राशि	खाते की सं	राशि
1	2	3	4	5	6	7

नवीन निवेश (कॉल 3) को जोड़कर कुल योग और प्रारम्भिक अवशेष से पुर्नभुगतान (कॉल 5) को घटाकर प्राप्त किया जाए।

परिशिष्ट XI

(पैराग्राफ 1.14 & 1.21)

7.75% बचत (करयोग्य) बॉन्ड, 2018

ब्याज भुगतान स्क्रॉल

क्र.सं.	बॉन्ड लेजर खाता सं	मूल राशि	पुर्नभुगतान की देय तारीख	ब्याज की कुल राशि/परिपक्वता के बाद ब्याज	बैंक खाते सं..... चेक/भुगतान आदेश सं.....को क्रेडिट किया गया	चेक/भुगतान आदेश सं के मामले में भुगतान की गई राशि समाशोधन अंतरण रु. रु.		इनिशियल्स

<u>परिशिष्ट सं. XII</u>

(पैराग्राफ 1.14 & 1.21)

7.75% बचत (करयोग्य) बॉन्ड, 2018

मूल पुर्नभुगतान स्क्रॉल

क्र.सं.	बॉन्ड लेजर खाता सं.	पुर्नभुगतान की देय तारीख	पुर्नभुगतान की राशि		बैंक खाते सं..... चेक/भुगतान आदेश सं.....को क्रेडिट किया गया	चेक/भुगतान आदेश सं के मामले में भुगतान की गई राशि समाशोधन अंतरण			इनिशियल्स
			न्यूनतम मूल्य	परिपक्क मूल्य		समाशोधन रु.	अंतरण रु.		